

## फैक्ट सीट

1	परियोजना का नाम :-	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का नुव निर्माण।
2	प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेन) :- सिविल वन भूमि :- निजी भूमि :- मक डिस्पोजल हेक्टेन :- योग :-	1.120 है0 0.227 है0 0.060 है0 1.407 है0
3	प्रस्तावक विभाग का नाम :-	अस्थाई खण्ड लोनिविठ गौचर
4	वन प्रभाग का नाम :-	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
5	प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है :-	हॉ
6	प्रस्ताव में विष्य सूची भरी गई है :-	हॉ
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग - 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है :-	हॉ
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों का दिनो व स्थान भरा गया है ।	हॉ
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है :-	हॉ
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है	हॉ
11	बांज प्राजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है :-	मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि जिससे कम से कम वृक्षों का पातन हो।
13	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है :-	हॉ
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है :-	हॉ
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	हॉ
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है :-	हॉ
17	प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है :-	हॉ
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है :-	नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है :- यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है :-	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है	हॉ
21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है :- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें )	मार्ग नया प्रस्तावित है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है :-	हॉ
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :-	हॉ
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है :-	नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोशी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध	काई उल्लंघन नहीं हुआ है।

	की गई कार्यवही का संलग्न किया जाए ।	
26	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाए गए हैं :-	हाँ
27	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाए)।	1:50,000 के मानचित्र में लिखा गया है।
28	लागत लाभ विषलशण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (पांच हैं 0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :-	नहीं
29	मनचित्र व चार्ट में एकरूपता है :-	हाँ
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :- अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है :-	हाँ
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावना संलग्न है :-	हाँ
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई हैं, तो क्या वे सत्यापित हैं :-	हाँ
33	यदि वनभूमि लीज पर ली जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें :-	नहीं
34	वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है :-	हाँ
35	क्या प्रस्तावों में सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :-	हाँ
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं :-	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समर्त प्रमाण पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई हैं।

हस्ताक्षर

सहायक अभियंता,  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर (चमोली)

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियंता,  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर (चमोली)

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी  
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर